

## संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छठवीं मंजिल, विंध्याचल भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

Fax : 0755-2768159, Tele 2578491

Email : dirhort@mp.nic.in

क./उद्यान/अ-2/स्था./28/भाग-3/2016-17/73 भोपाल दिनांक 04/11/2017


### आदेशः

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ-11 /1/2008/नियम/चार भोपाल दिनांक 24.01.2008 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक/11-17/2014/नियम/चार दिनांक 30.09.2014 में निहित प्रावधानों के तहत संचालनालय में कार्यरत निम्नांकित तृतीय श्रेणी सहा. ग्रेड-1 कर्मचारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के फलस्वरूप तृतीय समयमान स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम	पद नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं पदनाम	प्रथम नियुक्ति वेतनमान (संलग्न में मूल वेतन) (तत्स्थानिक)	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष नियमित सेवा पूर्ण करने का दिनांक	तृतीय समयमान वेतनमान	तृतीय समयमान वेतन प्रदान करने की तिथि
1	श्री कैसर अब्बास	सहा. ग्रेड-1	01.04.1986	सहा. ग्रेड-2 की 07.02.1994 1150-1800 लेखापाल 27.04.1998 4000-6000 सहा. ग्रेड-1 13.03.2013 5200-20200+2800	5200- 20200+ 2800	01.04.2016	9300- 34800+ 3200	01.04.2016
2	श्रीमती रोहिणी सुरंगे	सहा. ग्रेड-1	2.06.1986	19.04.1999 3500-80-4200-100-5 200 16.04.2007 4000-100-6000 पदो. सहा. ग्रेड-2 17.05.2013 5200-20200+2800 पदो. सहा. ग्रेड-1	5200- 20200+ 2800	02.06.2016	9300- 34800+ 3200	02.06.2016
3	श्रीमती गीनाक्षी बाकरे	सहा. ग्रेड-1	03.05.1980	09.10.1987 4000-6000 पदो. सहा. ग्रेड-2 31.11.2011 4000-6000 पदो. लेखापाल 30.05.2013 4500-7000 पदो. सहा. ग्रेड-1 03.05.2004 4500-7000 प्रथम क्रमो.	5200- 20200+ 2800	01.07.2014	9300-348 00+3200	द्वितीय समयमान दि. 03.05. 2011 5200- 20200+28 00 तृतीय समयमान दि 01.07. 2014 9300-348 00+3200

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22(a)(i) के तहत होगा एवं वेतनवृद्धि की तिथि पूर्ववत ही रहेगी। सिविल सेवा के किसी सदस्य की पदोन्नति होने पर यदि वे पहले से पदोन्नति पद के वेतनमान पद इस योजना अंतर्गत नियुक्त हैं, तो उसे पदोन्नति पश्चात वेतन निर्धारण हेतु अपने मूल पद के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 डी के अंतर्गत अथवा उच्चतर वेतनमान में प्राप्त वेतन में संदर्भ में मूलभूत नियम 22(a)(ii) के अंतर्गत जो भी अधिक लाभदायक होगा का लाभ उपलब्ध होगा।

उच्चतर वेतनमान में वेतन नियतन पश्चात शासकीय कर्मचारी के वेतन नियमन की जांच संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करने उपरांत ही भुगतान किया जावे।



(सत्यानंद)

संचालक

उद्यानिकी एवं पक्षेत्र वानिकी  
मध्यप्रदेश

पृ. क./उद्यान/अ-2/स्था./28/भाग-3/2016-17/74 भोपाल दिनांक 04/11/2017

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. संयुक्त संचालक उद्यान, भोपाल/उज्जैन संभाग।
3. कोषालय अधिकारी विन्ध्याचल भवन, भोपाल/जिला भोपाल/उज्जैन।
4. उप/सहायक संचालक उद्यान, जिला भोपाल/उज्जैन।
5. लेखा शाखा, संचालनालय।
6. संबंधित श्री केसर अब्बास, सहा. ग्रेड-1 संचालनालय भोपाल।
7. संबंधित श्रीमती रोहिणी सुरंगे, सहा. ग्रेड-1, कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, जिला भोपाल।
8. संबंधित श्रीमती मीनाक्षी बाकरे, सहा. ग्रेड-1, कार्यालय उप संचालक उद्यान, जिला उज्जैन।



संचालक

उद्यानिकी एवं पक्षेत्र वानिकी  
मध्यप्रदेश भोपाल